कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रमांकः 867 / 119 (ब) / आउशि / शा–5'अ' / 2017 भोपाल, दिनांक 07 जुलाई 2017

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
म.प्र.।

विषयः **मेधावी विद्यार्थी योजना वर्ष 2017–18 के व्यापक प्रचार–प्रसार बाबत।**

संदर्भः संचालक, तकनीकी शिक्षा, म.प्र. के पत्र क्र.4 / शैक्ष / काउंसलिंग / एच / 2017 / 753, दिनांक. 20.06.2017

–0–

विषयांतर्गत एवं संदर्भित के संबंध में लेख है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्तमान में वर्ष 2017–18 के लिए मेधावी विद्यार्थी योजना प्रारंभ की गई है।

2. योजना के आदेश क्र. एफ 5–6 / 2017 / 42(1), दिनांक 12.6.2017 की प्रति संलग्न प्रेषित है।
3. समस्त प्राचार्य इस योजना के क्रियान्वयन के लिए व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. योजना से संबंधित सम्पूर्ण विवरण एवं आवेदन–पत्र www.mptechedu.org अथवा www.scholarship portal.mp.nic.in पर उपलब्ध है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(नीरज मंडलोई)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ0क्रमांकः 868/ 119(ब) / आउशि / शा–5'अ' / 2017 भोपाल, दिनांक 07 जुलाई 2017

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रो. (डॉ.) वीरेन्द्र कुमार , संचालक, तकनीकी शिक्षा, चतुर्थ तल सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र. की ओर उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

(डॉ. ए.एस. यादव)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल – 462004

Ph. 0755-2576751, Fax 0755-2552219, Website : www.mptechedu.org, E-Mail : dtemp.bpl@mp.gov.in

क्रमांक / 4 / शैक्ष / काउंसलिंग / एच / 2017 / 753

भोपाल, दिनांक 20-06-/2017

By Hand 23-6-17

प्रति,

1. उप सचिव,
   म0प्र0 शासन, कृषि विभाग,
   मंत्रालय, भोपाल
2. आयुक्त,
   उच्च शिक्षा,
   सतपुड़ा भवन, भोपाल
3. आयुक्त,
   लोक शिक्षण संचालनालय,
   गौतम नगर, भोपाल
4. आयुक्त,
   चिकित्सा शिक्षा,
   सतपुड़ा भवन, भोपाल
5. आयुक्त,
   स्वास्थ्य सेवायें,
   सतपुड़ा भवन, भोपाल
6. संचालक,
   आयुष, बेसमेंट,
   सतपुड़ा भवन, भोपाल
7. सचिव,
   माध्यमिक शिक्षा मण्डल
   महाराणा प्रताप नगर, भोपाल

CHE 23-6-17

विषयः–मेधावी विद्यार्थी योजना वर्ष 2017–2018 के व्यापक प्रचार प्रसार संबंधी।

---000---

म0प्र0 शासन द्वारा वर्तमान में वर्ष 2017–2018 के लिये मेधावी विद्यार्थी योजना प्रारंभ की गई है । जिससे संबंधित शासन आदेश क्रमांक एफ 5–6 / 2017 / 42(1), दिनांक 12.06.2017 की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु इस पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है। कृपया आपके अधीनस्थ संबंधित महाविद्यालयो / विद्यालयों में इस योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने का कष्ट करें। योजना से संबंधित सम्पूर्ण विवरण एवं आवेदन पत्र विवरण www.mptechedu.org अथवा www.scholarshipportal.mp.nic.in पर उपलब्ध है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

(प्रो. (डॉ.) वीरेन्द्र कुमार)
संचालक, तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

कार्यालय
आयुक्त, उच्च शिक्षा
30 JUN 2017
OSD (अकादमी)
आयुक्त

निरंतर........2

(17) (10)

भोपाल, दिनांक ..../2017

क्रमांक/4/शैक्ष/काउंसलिंग/एच/2017/

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. उप विभाग–5 (योजना शाखा), संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश।

(प्रो. (डॉ.) वीरेन्द्र कुमार)
संचालक, तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 12.06.2017

: : आदेश : :

क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1) राज्य शासन द्वारा मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 06 जून, 2017 को लिये गये निर्णय अनुसार प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा हेतु **"मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना"** प्रारम्भ की जा रही है। योजना को निम्न स्वरूप में अनुमति प्रदान की जाती है।

2. पात्रता की शर्तें:-

2.1 विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो।

2.2 विद्यार्थी के पिता/पालक की आय 6 लाख रूपये से कम हो।

2.3 विद्यार्थी ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा CBSE/ICSE द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किया हो।

3. यह योजना स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु निम्नानुसार लागू की जावेगी:-

3.1 **इंजीनियरिंग क्षेत्र:-** कोई भी विद्यार्थी जिसकी जेईई (JEE) मेन्स परीक्षा में रैंक 50 हजार के अन्तर्गत हो। अगर विद्यार्थी किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उपरोक्त आधार पर प्रवेश प्राप्त करता है तो निम्नानुसार सहायता उपलब्ध करायी जायेगी :-

a. शासकीय कॉलेज को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

b. प्रायवेट कॉलेज को देय शुल्क रूपये 1.5 लाख तक या वास्तविक रूप से देय शुल्क जो भी कम हो राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

स्पष्टीकरण- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सहायता सभी पात्र छात्रों को उपलब्ध करायी जायेगी। यदि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पृथक प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश किया जाता है और छात्र जेईई मेन्स में 50 हजार तक के अन्तर्गत रैंक धारण करता है तो उसे भी पात्रता होगी।

3.2 **मेडिकल की पढ़ाई :-** जिन छात्रों ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज अथवा मध्यप्रदेश में स्थित प्रायवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल–462004

क्रं. 1019/ 119 / आउशि / शा–5'अ' / 2017, भोपाल, दिनांकः05अगस्त 2017

प्रति,

प्राचार्य
समस्त शासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश,

विषयः–मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के आदेश दिनांक 12 जून 2017 को संशोधित आदेश के संबंध में।

संदर्भः–उपसचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा का पत्र क्रमांक एफ 5–6 / 2017 / 42(1) दिनांक 29.07.2017

–0–

उपरोक्त संदर्भित संशोधित आदेश के द्वारा 'मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना' के संबंध में जारी किए गए आदेश की प्रति संलग्न है।

कृपया तदनुसार आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रकरण में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

(नीरज मंडलोई)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
एवं आयुक्त–सहसचिव
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रं. 1020/ 119 / आउशि / शा–5'अ' / 2017, भोपाल, दिनांकः05अगस्त 2017

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. उपसचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के उपरोक्त पत्र के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र. की ओर उपरोक्त कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
4. I T प्रभारी [illegible]

(डॉ. ए.एस. यादव)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 29.07.2017

: : संशोधित-आदेश : :

क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1) राज्य शासन द्वारा **मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना** में विभागीय आदेश 12 जून 2017 को संशोधित स्वरूप में निम्नानुसार निर्गत किया जाता है -

2. पात्रता की शर्तें:-

2.1 विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो, तथा

2.2 विद्यार्थी पिता पालक की आय 6 लाख रुपये से कम हो,

परंतु ऐसे विद्यार्थी जिनके पिता पालक की वार्षिक आय रुपये 6.00 लाख तक है तथा वे बी.पी.एल. कार्डधारी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हैं तथा जो कंडिका क्रमांक 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एवं 3.5 में उल्लेखित शर्तों के कारण योजना में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं को विशेष प्रकरण मानते हुये इनके संबंध में विभाग समन्वय में सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त उन्हें योजना में सम्मिलित कर सकेगा, तथा

2.3 विद्यार्थी ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा *वर्ष 2016 या उसके पश्चात* आयोजित 12वीं की परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा CBSE/ICSE द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं,

3. यह योजना स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु निम्नानुसार लागू की जावेगी:-

3.1 **इंजीनियरिंग क्षेत्र:-** कोई भी विद्यार्थी जिसने जेईई (JEE) मेन्स परीक्षा में रेंक 50 हजार के अन्तर्गत हो। अगर विद्यार्थी किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उपरोक्त आधार पर प्रवेश प्राप्त करता है तो निम्नानुसार सहायता उपलब्ध करायी जायेगी :-

a. शासकीय कॉलेज को देय शुल्क शासन द्वारा वहन किया जावेगा

b. प्रायवेट कॉलेज को देय शुल्क रूपये 1.5 लाख तक या वास्तविक रूप से देय शुल्क जो कम हो राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

स्पष्टीकरण- i) यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सहायता सभी पात्र छात्रों को उपलब्ध करायी जावेगी। यदि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पृथक प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है और छात्र जेईई मेन्स में 50 हजार तक के अंतर्गत रैंक धारण करता है तो उसे भी पात्रता होगी।

ii) *शासकीय कॉलेज की परिभाषा में अनुदान प्राप्त महाविद्यालय एवं समस्त शासकीय विश्वविद्यालय भी सम्मिलित माने जावेंगे।*

3.2 **मेडिकल की पढ़ाई :-** a. जिन छात्रों ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज/डेन्टल कॉलेज अथवा मध्यप्रदेश शासन में स्थित प्रायवेट मेडिकल कॉलेज/डेन्टल कॉलेज के एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो। तो विद्यार्थी को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

स्पष्टीकरण- NEET अथवा भारत शासन के अंतर्गत ऐसे संस्थान जो स्वंय के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर प्रवेश देते हैं को भी योजना में सम्मिलित मान्य किया जावेगा।

b. शासकीय मेडिकल कॉलेज/डेन्टल कॉलेज में शिक्षित डॉक्टर 2 वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेंगे और इस आशय का बॉड रुपये 10 लाख के रूप में निष्पादित करेंगे। प्रायवेट कॉलेज में यह अवधि 5 वर्ष तथा बॉड की राशि रूपये 25 लाख होगी।

3.3 **विधि की पढ़ाई :-**CLAT (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) में बारहवीं कक्षा के बाद एडमिशन वाले कोर्स की विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.4 मध्यप्रदेश में स्थित भारत सरकार के समस्त संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम या इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के कोर्स की विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.5 राज्य शासन के सभी कॉलेज जिसमें बी.एस.सी., बी.ए. बी.कॉम. नर्सिंग, पोलीटेक्निक तथा स्नातक स्तर के अन्य सभी पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.6 *योजना के अंतर्गत स्नातक स्तर हेतु विभिन्न संस्थाओं को देय शुल्क के रूप में, प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्यप्रदेश निजी*

विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जाएगा।

4. योजना की अन्य शर्तें -

4.1 इस योजनांतर्गत लाभ पाने वाले छात्रों को प्रवेशित संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठयक्रम को समय-सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा अन्यथा यह लाभ बंद कर दिया जावेगा।

4.2 शासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क संस्था के खाते में देय होगा, जबकि निजी संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क विद्यार्थी के खाते में देय होगा।

4.3 विद्यार्थी द्वारा राज्य या केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त होने की स्थिति में वह अंतर की राशि प्राप्त कर सकेगा।

4.4 सभी मध्य प्रदेश के युवा जो इस योजना के लाभार्थी होंगे व उनका परिवार स्वेच्छा से शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित फंड में उनके जैसे अन्य छात्रों की सेवा हेतु इस योजना के अंतर्गत प्रदाय की गई राशि को वापिस जमा करा सकेंगे।

5. योजना का क्रियान्वयन-

5.1 इस योजना के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग नोडल विभाग होगा एवं क्रियान्वयन संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

5.2 योजना शैक्षणिक सत्र 2017-18 से आरंभ की जावेगी।

5.3 नोडल विभाग द्वारा इस योजना का प्रचार-प्रसार किया जावेगा तथा योजनांतर्गत प्रचार-प्रसार एवं प्रशासनिक व्यय योजना बजट से देय होगा।

5.4 इस योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

5.5 संबंधित संस्थान द्वारा प्रस्तुत जानकारी के वेरिफिकेशन उपरांत संस्था को देय शुल्कों की पूर्ति संबंधित संस्थान विद्यार्थी को ई-ट्रांसफर के माध्यम से तकनीकी शिक्षा विभाग के बजट से की जायेगी।

5.6 *ऐसे छात्र जिनके पास आधार नम्बर नहीं है उनको तीन माह के अन्दर आधार नम्बर प्रस्तुत करना होगा।*

16/8

6. योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए विभाग के प्रशासकीय प्रस्ताव पर स्वीकृति हेतु समन्वय में मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

3769
1-8-17

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सभाजीत यादव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1)

भोपाल, दिनांक 29.07.2017

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय,
4. प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव, कार्यालय।
5. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/आयुष/किसान कल्याण तथा कृषि विकास/विधि और विधायी कार्य/पशुपालन विभाग,
6. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
7. निज सचिव, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
8. संचालक, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल।
9. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल।
10. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय भोपाल, मध्यप्रदेश
11. गार्ड नस्ती

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

website पर upload करें

01 AUG 2017

JCHE | AS

कार्यालय
आयुक्त, उच्च शिक्षा
01 AUG 2017
OSD (अकादमी)
आयुक्त

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग

मंत्रालय

: : संशोधित एकजाई आदेश : :

भोपाल दिनांक 05-06-2018

क्रमांक एफ 5-6/2017/42(1): : राज्य शासन द्वारा मंत्रि-परिषद् की बैठक दिनांक 23/04/2018 को लिए गए निर्णय अनुसार **मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना** में विभागीय आदेश 12 जून 2017, संशोधित आदेश दिनांक 31.7.2017, 24.8.2017, 30.8.2017, 5.9.2017 एवं 18.5.2018 को संशोधित स्वरूप मे एकीकृत करते हुये एकजाई आदेश निम्नानुसार निर्गत किया जाता है:-

2. **पात्रता की शर्तें-:**

2.1 विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो, तथा

2.2 विद्यार्थी के पिता/पालक की आय 6 लाख रुपये से कम हो,
परंतु ऐसे विद्यार्थी जिनके पिता/पालक की वार्षिक आय रुपये 6.00 लाख तक है तथा वे बी.पी.एल. कार्डधारी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी हैं तथा जो कंडिका क्रमांक 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 एवं 3.5 में उल्लेखित शर्तों के कारण योजना में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं, को विशेष प्रकरण मानते हुये इनके संबंध में विभाग, समन्वय में सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर उन्हें योजना में सम्मिलित कर सकेगा।

2.3 माध्यमिक शिक्षा मण्डल की बांरहवी की परीक्षा में शैक्षणिक सत्र 2018-19 से 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों एवं सीबीएसई/आईएससीएसआई द्वारा आयोजित बांरहवी की परीक्षा में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रो को योजना का लाभ प्राप्त होगा। ऐसे विद्यार्थी जो कंडिका 3.1 से कंडिका 3.5 तक में उल्लेखित पाठयक्रमों मे प्रवेश लेते है तथा जिन्होनें वर्ष 2016 से पूर्व से ही इस कंडिका में उल्लेखित परीक्षाओं में निर्धारित अंक प्राप्त किये है, भी इस योजना में पात्र होगें।

3. **यह योजना स्नातक स्तर की शिक्षा हेतु निम्नानुसार लागू की जावेगी:-**

3.1 **इंजीनियरिंगक्षेत्र:-** कोई भी विद्यार्थी जिसने जेईई(JEE) मेन्स परीक्षा में 1 लाख 50 हजार के अन्तर्गत रैंक प्राप्त किया है, अगर किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में उपरोक्त आधार पर प्रवेश प्राप्त करता है तो निम्नानुसार सहायता उपलब्ध करायी जायेगी :-

a. शासकीय कॉलेज को देय शुल्क शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

b. प्रायवेट कॉलेज को देय शुल्क रूपये 1.5 लाख तक या वास्तविक रूप से देय शुल्क जो कम हो राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

स्पष्टीकरण:- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त सहायता सभी पात्र छात्रों को उपलब्ध करायी जावेगी। यदि किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पृथक प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है और छात्र जेईई मेन्स में 1 लाख 50 हजार तक के अंतर्गत रैंक धारण करता है तो उसे भी पात्रता होगी।

3.2 **मेडिकल की पढ़ाई :-** जिन विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (NEET) के आधार पर केन्द्र या राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज/डेन्टल कॉलेज के एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम एवं मध्यप्रदेश में स्थित प्रायवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो, उन विद्यार्थी को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा। भारत शासन के ऐसे संस्थान, जो स्वंय के द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर प्रवेश देते हैं, को भी योजना में सम्मिलित मान्य किया जावेगा। शासकीय मेडिकल कॉलेज में शिक्षित डॉक्टर 2 वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने का अनुबंध करेंगे और इस आशय का बॉड रूपये 10 लाख के रूप में निष्पादित करेंगे। प्रायवेट कॉलेज में यह अवधि 5 वर्ष तथा बॉड की राशि रूपये 25 लाख होगी।

3.3 **विधि की पढाई :-** CLAT (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) अथवा स्वयं के द्वारा अयोजित परीक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) एवं दिल्ली विश्वविद्वालय में बारहवीं कक्षा के बाद एडमिशन वाले कोर्स के विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3:4 भारत सरकार के समस्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों में संचालित ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम एवं ड्यूल डिग्री कोर्स (जिसमे मास्टर डिग्री के साथ बैचलर डिग्री भी सम्मिलित है) के विद्यार्थियों को देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

3.5 राज्य शासन के समस्त शासकीय एवं अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों एवं पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में संचालित समस्त डिप्लोमा पाठ्यक्रमों (12वीं परीक्षा के आधार पर प्रवेश) को योजना के अंतर्गत शामिल किया जावेगा।

योजना के अंतर्गत स्नातक स्तर हेतु विभिन्न संस्थाओं को देय शुल्क के रूप में, प्रवेश शुल्क एवं वह वास्तविक शुल्क (मेस शुल्क एवं कॉशन मनी को छोड़कर) जो शुल्क विनियामक समिति अथवा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग अथवा भारत सरकार/राज्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है, का ही भुगतान किया जावेगा।

4. **योजना की अन्य शर्तें -**

4.1 इस योजनांतर्गत लाभ पाने वाले छात्रों को प्रवेशित संस्था के नियमानुसार विषय तथा पाठ्यक्रम को समय-सीमा में पूर्ण करना आवश्यक होगा अन्यथा यह लाभ बंद कर दिया जावेगा।

4.2 शासकीय संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क संस्था के खाते में देय होगा, जबकि निजी संस्थाओं के विद्यार्थियों को देय शुल्क विद्यार्थी के खाते में देय होगा।

4.3 विद्यार्थी द्वारा राज्य या केन्द्र शासन की किसी अन्य योजना से सहायता प्राप्त होने की स्थिति में वह अंतर की राशि प्राप्त कर सकेगा।

4.4 सभी मध्य प्रदेश के युवा जो इस योजना के लाभार्थी होंगे व उनका परिवार स्वेच्छा से शिक्षा पूर्ण होने के उपरांत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित फंड में उनके जैसे अन्य छात्रों की सेवा हेतु योजना के अंतर्गत प्रदाय की गई राशि को वापिस जमा करना चाहेगें, ऐसा कर सकेगें।

5. **योजना का क्रियान्वयन -**

5.1 योजना के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग नोडल विभाग होगा एवं क्रियान्वयन संचालनालय तकनीकी शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

5.2 योजना शैक्षणिक सत्र 2017-18 से लागू की गई है। संशोधित स्वरूप शैक्षणिक सत्र 2018-19 से लागू होगा।

5.3 नोडल विभाग द्वारा इस योजना का प्रचार-प्रसार किया जावेगा तथा योजनान्तर्गत प्रचार-प्रसार एवं प्रशानिक व्यय योजना बजट से देय होगा। इस हेतु योजना पर हुए व्यय का 03 प्रतिशत किन्तु प्रथम वर्ष के लिए रूपये 15 करोड़ निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रशासनिक व्यय भी सम्मिलित होगा।

इस योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

.5 संबंधित संस्थान द्वारा प्रस्तुत जानकारी के वेरीफिकेशन उपरांत संस्था को देय शुल्कों की पूर्ति संबंधित संस्थान/विद्यार्थी को ई-ट्रांसफर के माध्यम से तकनीकी शिक्षा विभाग के बजट से की जायेगी।

5.6 ऐसे छात्र जिनके पास आधार नम्बर नहीं है उनको तीन माह के अन्दर आधार नम्बर प्रस्तुत करना होगा।

6. योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए विभाग के प्रशासकीय प्रस्ताव पर समन्वय से मुख्यमंत्री जी अधिकृत होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ.एम.आर.धाकड़)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग

मांक एफ 5-6/2017/42(1) भोपाल, दिनांक 5/6/2018

तिलिपि:-

1. महालेखाकार मध्यप्रदेश ग्वालियर।
2. अपर मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग।
3. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन मुख्यमंत्री सचिवालय।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय।
5. प्रमुख सचिव म.प्र. शासन उच्च शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/आयुष/किसान कल्याण तथा कृषि विकास/विधि और विधायी कार्य/पशुपालन विभाग।
6. निज सचिव माननीय मंत्रीजी तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
7. निज सचिव प्रमुख सचिव म.प्र. शासन तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
8. संचालक तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल।
9. आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल।
10. समस्त जिला कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
11. स्टाफ पंजी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

तक. शिक्षा, कौ. वि. एवं रोज. विभाग

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल– 462004

क्रमांक : 1045 / 1539/18/38-2

प्रति,

भोपाल, दिनांक: 16 जुलाई 2018

1 समस्त कुलसचिव शासकीय विश्वविद्यालय, म.प्र.।
2. समस्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।
3. समस्त प्राचार्य, अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.।

विषयः मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनान्तर्गत–द्वितीय वर्ष सत्र 2018–19 में प्रवेशित लाभार्थी/विद्यार्थियों द्वारा योजना से लाभ हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में दिशा निर्देश।

संदर्भ: संचालक, तकनीकी शिक्षा म.प्र. के पत्र क्र. 4/शैक्ष./एमएमव्हीवाय/2018/326, दिनांक 6.7.2018

–0–

उपरोक्त संदर्भित बाबत लेख है कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के तहत संचालक तकनीकी शिक्षा, म.प्र. द्वारा योजना के द्वितीय वर्ष सत्र 2018–19 में प्रवेशित लाभार्थी विद्यार्थियों द्वारा योजना का लाभ हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के संबंध दिशा निर्देश (संलग्न) जारी किये गए हैं।

उक्त योजना के प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

16-7-18
(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्ष विभाग

पृ०क्रमांक 1046/1539/18/38-2

भोपाल, दिनांक: 16 जुलाई 2018

प्रतिलिपि:–

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी/राज्यमंत्री जी, उच्च शिक्षा, म.प्र.।
2. स्टाफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय।
4. संचालक, तकनीकी शिक्षा, म.प्र. चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर उनके के पत्र क्र. 4/शैक्ष./एमएमव्हीवाय/2018/326, भोपाल दिनांक 6.7.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र. की ओर कार्यवाही हेतु।
6. आई.टी. सेल, उच्च शिक्षा सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

16-7-18
अवर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्ष विभाग

डॉ. मयूर
20.7.18

MMVY

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल

क्रमॉक 1142/412/आउशि/छा/2019 भोपाल दिनांक 19/12/19

प्रति,

समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।

विषय– मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनांतर्गत छात्र–छात्राओं के वर्ष 2019 में नवीन एवं वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के नवीनीकरण आवेदन महाविद्यालयों से सत्यापन एवं स्वीकृति कराये जाने बावत्।

संदर्भः–संचालक तकनीकी शिक्षा के पत्र क्रमांक/4/एमएमव्हीवाय/2019/352 दिनांक 18.12.19 के संबंध में।

उपरोक्त विषय संदर्भ में लेख है कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजनांतर्गत छात्र–छात्राओं के वर्ष 2019 में नवीन एवं वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के नवीनीकरण के संलग्न सूची अनुसार लंबित आवेदनों की सूची आपकी ओर प्रेषित कर महाविद्यालयों से सत्यापन एवं स्वीकृति कर भुगतान करने हेतु लिखा गया है।

अतः मुख्यमंत्री मेधावी योजना के अंतर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों की लंबित सूची की समीक्षा कर महाविद्यालयों के प्राचार्यो को आज ही यह निर्देशित करें की तत्काल दिनांक 20.12.19 समय अपरांह 02:00 बजे तक भुगतान संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए छात्रवृत्ति शाखा के ईमेल तथा संचालक तकनीकी शिक्षा के ईमेल पर अवगत कराने का कष्ट करें। उक्त योजना के भुगतान न होने पर यदि विद्यार्थियों के द्वारा सी एम हेल्पलाइन, ऑनलाईन समाधान अथवा अन्य शिकायत पर जाता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य की सुनिश्चित की जावेगी।कृपया सर्वोच्च प्राथमिकता पर उपरोक्त कार्य सुनिश्चित कराना चाहे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार सूची
(अपर आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

19.12.19
(डॉ आलोक निगम)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

ऊ. मसुर
20.12.19

पृष्ठांकन क्रमांक 1143/412/आउशि/छा/19 भोपाल दिनॉक 19/12/19

प्रतिलिपिः–

1 निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन मध्यप्रदेश भोपाल।
2 निज सहायक, संचालक, तकनीकी शिक्षा, सतपुडा भवन भोपाल।
3 समस्त प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय मध्यप्रदेश की ओर इस आशय साथ प्रेषित कि दिनांक 20.12.19 अपरांह 02:00 बजे तक आपने जिले के लंबित प्रकरणों का निराकरण कर छात्रवृत्ति शाखा तथा संचालक तकनीकी शिक्षा के ईमेल अवगत कराने कष्ट करे।
4 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा, आई टी सेल, वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही संबंधी सूचनार्थ।

19.12.19
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, म.प्र.

MMVY 2021-22

S No	Name	F Name	Cast	Amount
1	AADARSH SAHU	NANDKISHORESAHU	OBC	10454
2	AADIL HUSAIN	ZAHIDHUSAIN	GENERAL	10354
3	ABHAY SHARMA	GOVINDBIHARISHARMA	GENERAL	10672
4	ABHAY PRATAP SINGH	PRADEEPSINGH	GENERAL	12454
5	ABHISHEK CHOBEY	GOVINDCHOBEY	GENERAL	12454
6	ABHISHEK GORAYA	VIRANSINGHGORAYA	SC	11588
7	ABHISHEK MEENA	TULSIRAMMEENA	OBC	11354
8	ABHISHEK MEENA	MOHANSINGHMEENA	OBC	12354
9	ABHISHEK PRAJAPATI	SHIVNARAYANPRAJAPATI	OBC	2364
10	ABHISHEK SAHU	RAKESHSAHU	OBC	12354
11	ABHISHEK SINGH	VANSHPATISINGH	GENERAL	2474
12	ABHISHEK YADAV	NARAN	OBC	10454
13	ADARSH DWIVEDI	PUSHPRAJDWIVEDI	GENERAL	2672
14	ADITYA VISHWAKARMA	MOHAN	OBC	10672
15	ADITYA DEV TRIPATHI	RAJAN	GENERAL	11672
16	AKASH RAJAK	KRISHNARAJAK	OBC	10454
17	AKASH SEN	PRAKASHSEN	OBC	2364
18	AKASH KUMAR SHUKLA	ASHOKKUMARSHUKLA	GENERAL	11672
19	AMAN PATHAK	SATISHPATHAK	GENERAL	12672
20	AMAN SAHU	KAILASHSAHU	OBC	2364
21	AMAN THAKUR	JAGDISHTHAKUR	GENERAL	12354
22	AMANDEEP MALVIYA	SANDEEPMALVIYA	OBC	12454
23	AMIT PARMAR	SURESHPARMAR	OBC	10672
24	AMIT SHARMA	GHANSHYAMSHARMA	GENERAL	2672
25	AMULYA AGRAWAL	SATISHKUMARAGRAWAL	GENERAL	2354
26	ANAND SHARMA	KAMLESHSHARMA	GENERAL	10354
27	ANANT TRIVEDI	RKTRIVEDI	GENERAL	2672
28	ANIKET KUSHWAHA	HARPRASADKUSHWAHA	OBC	12672
29	ANJAY PANDEY	RVPANDEY	GENERAL	10454
30	ANKIT CHOURASIYA	HARISHCHANDRACHOURASIYA	OBC	11672
31	ANKIT NAGAR	DEVILAL	OBC	2672
32	ANKIT PATEL	KHEMCHANDRA	OBC	10454
33	ANKIT VERMA	KAMLESH	OBC	11672
34	ANKUSH DUBEY	GAJENDRADUBEY	GENERAL	2554
35	ANUJ PRAJAPATI	ASHOKPRAJAPATI	OBC	10672
36	ANUJ RAJPOOT	BHUPENDRASINGHRAJPOOT	GENERAL	2364
37	ANURAG GUPTA	SURENDRAGUPTA	GENERAL	12354
38	ANURAG PANDEY	AJAYKUMAR	GENERAL	2364
39	ARPIT SONI	HARIOMSONI	OBC	12672
40	ARUN KUSHWAHA	BIHARILALKUSHWAHA	OBC	2672

PRINCIPAL
Govt. Hamidia ...

41	ARUN SARONIYA	SHYAMSINGHSARONIYA	SC	2588
42	ARUN SHARMA	DURGAPRASAD	GENERAL	2364
43	ARVIND JADHAV	DINESHJADHAV	SC	12370
44	ARVIND SINGH KHINCHI	GOPALSINGHKHINCHI	GENERAL	2672
45	ASHISH RAJPUT	PRITAMSINGHRAJPUT	GENERAL	2354
46	ASHISH SONI	RAJESHKUMARSONI	OBC	10454
47	ASIM KHAN	MOHDKHALILKHAN	GENERAL	10672
48	ATANSHU SINGH	SUBHASHSINGH	GENERAL	10672
49	AYUSH YADAV	ASHOKYADAV	OBC	2354
50	BHAGAT SINGH RAGHUVANSHI	NEPALSINGHRAGHUVANSHI	GENERAL	2672
51	BHAGWAN SINGH MEENA	LAXMINARAYANMEENA	OBC	12454
52	CHANDRASHEKHAR LODHI	GANESHRAMLODHI	OBC	12672
53	CHETAN SHAHI	ANANDSHAHI	GENERAL	2354
54	DARSHAN JEEVNANI	KANHAIYALALJEEVNANI	GENERAL	12672
55	DAYA SAGAR KUSHWAHA	RAMKUSHWAHA	OBC	2672
56	DEEPAK DUBEY	RAJENDRAPRASADDUBEY	GENERAL	10672
57	DEEPAK SINGH	RANJEETSINGH	GENERAL	10672
58	DEEPAK TILAK	RAKESHTILAK	OBC	11672
59	DEEPANSHU VISHWAKARMA	DILIPVISHWAKARMA	GENERAL	2474
60	DEVANSHU TIWARI	RAJENDRAPRASADTIWARI	GENERAL	2672
61	DEVENDRA VISHWAKARMA	GHANSHYAM	OBC	12672
62	DHARMENDRA LOVEWANSHI	BAWAL SINGH	OBC	10454
63	DHEERAJ BANSAL	SHIBBUBANSAL	SC	10454
64	DIVYANSH AGRAWAL	SANJEEVAGRAWAL	GENERAL	2354
65	DIVYANSH JAIN	RAJESHKUMARJAIN	GENERAL	2672
66	DIVYANSH KUSHWAHA	DAYARAMKUSHWAHA	OBC	11672
67	DIVYANSH KUMAR JAIN	SURENDRAKUMARJAIN	GENERAL	2672
68	DURGESH RAJPUT	HARNARAYAN SINGH RAJPUT	GENERAL	2364
69	GAURAV RAJA	NANHERAJA	GENERAL	2364
70	HANUMANT HANUMANT	ASHARAM	ST	2588
71	HARIOM PATIDAR	DURGAPRASADPATIDAR	OBC	12354
72	HARIS KHAN	ABDULHAFEEJ	OBC	10672
73	HARSH GUPTA	MAHESHGUPTA	GENERAL	10354
74	HARSHIT DUBEY	MAHENDRADUBEY	GENERAL	2474
75	HIMANSHU GAWADE	BUDHRAVGAWADE	OBC	11672
76	HOSHILAL HIRVE	DAYARAMHIRVE	SC	2588
77	HRISHABH CHHIPA	CHATRAMCHHIPA	OBC	2354
78	HRISHABH DHAKAD	BHEEMSINGHDHAKAD	OBC	16044
79	IBRAHIM SADAT	SADATMOHAMMADKHAN	GENERAL	11672
80	IMRAN SHEIKH	ISMILEKHA	OBC	10454
81	JAGDISH MEWADA	BHADARSINGHMEWADA	GENERAL	2354
82	JAYDEEP RAJPOOT	VISHWANATHRAJPOOT	GENERAL	2672

PRINCIPAL
Govt. Hamidia Arts & Commerce

83	JITENDRA RAIKWAR	KANHAIYALALRAIKWAR	OBC	2364
84	KARAN GOUR	VINODGOUR	OBC	2672
85	KARTIK JAIN	KAILASHJAIN	GENERAL	2867
86	KESHAV SINGH	BALDAUSINGH	GENERAL	2364
87	KSHITIJ MISHRA	MAHESHMISHRA	GENERAL	10672
88	KULDEEP RATHOD	MAHENDRACHANDEL	GENERAL	11672
89	LALIT AGRWAL	RAJESHAGRWAL	GENERAL	2454
90	LOKESH PARMAR	DEVKARANPARMAR	OBC	11672
91	LOKESH SHARMA	ARVINDSHARMA	GENERAL	10454
92	MAAZ AHMED	FAREEDAHMED	GENERAL	12454
93	MAHENDRA KUSHWAHA	NARAYAN	OBC	10672
94	MALKHAN THAKUR	AZADTHAKUR	GENERAL	2364
95	MANISH MANJHI	DINESH	GENERAL	2454
96	MANISH VISHWKARMA	JAGTAAPVISHWKARMA	OBC	2672
97	MANOJ PACHHAI	YANKBAHADURPACHHAI	GENERAL	2354
98	MAYANK DUBEY	MURLIDHARDUBEY	GENERAL	2454
99	MAYANK MISHRA	RAMNARESHMISHRA	GENERAL	11672
100	MAYANK SHARMA	MANOJSHARMA	GENERAL	2474
101	MAYUR MANDLEKAR	GYANDEVMANDLEKAR	SC	19044
102	MILAN JAIN	PAWANJAIN	GENERAL	10354
103	MILAN SAHU	ASHOKSAHU	OBC	2672
104	MOHAMMAD DANISH KHAN	MOHDKAMILKHAN	GENERAL	12454
105	MOHAMMADKAIF NA	MOHAMMADMAHAMOODKHAN	GENERAL	12454
106	MOHD OVAIS	JAVED	GENERAL	10354
107	MOHD FARUKH KHAN	SHARAFATKHAN	GENERAL	12354
108	MOHD MOHSIN KHAN	MOHDAZIZ	GENERAL	2354
109	MOHIT KHICHI	UMASHANKARKHICHI	SC	12588
110	MOHIT SHARMA	MANOHARSHARMA	GENERAL	12454
111	MOHIT SHARMA	SANDEEPSHARMA	GENERAL	10354
112	MOHIT SINGH UMATH	NIRBHAYSINGHUMATH	GENERAL	2672
113	MUKESH THAKUR	CHIRONJILALTHAKUR	ST	2588
114	NAJMUSH SHAKIB KHAN	PYAREKHAN	GENERAL	2364
115	NANDU HINGWE	AANANDRAO	OBC	10672
116	NAVEEN SURYAWANSHI	GOKULSURYAWANSHI	OBC	2364
117	NAVEEN YADAV	POORANLALYADAV	OBC	12672
118	NEERAJ GOUTAM	RAMESHGOUTAM	GENERAL	2672
119	NIHIT JAIN	NIKHILESHJAIN	GENERAL	12354
120	NIKHIL GUPTA	PAVANGUPTA	GENERAL	2454
121	NIKHIL PATEL	MAHENDRAPATEL	OBC	11672
122	NIKHIL SAHU	JAGDISHSAHU	OBC	10454
123	PANKAJ GOUR	DAYARAMGOUR	OBC	11454
124	PRADEEP RAGHUWANSHI	KISHANSINGHRAGHUWANSHI	GENERAL	2454

PRINCIPAL
Govt. Hamidia Arts & Commerce

125	PRAMOD SAHU	MOHANLAL	OBC	10454
126	PRANAY CHOUDHARY	CHATRAPAL	OBC	10672
127	PRASHANT TOMAR	HUKUMSINGHTOMAR	GENERAL	12672
128	PREET JAIN	PAWANKUMARJAIN	GENERAL	12672
129	PREM NARAYAN	HARISHANKAR	OBC	10454
130	PRIYANSHU MISHRA	KRISHNAKUMARMISHRA	GENERAL	2672
131	PRIYANSHU RAIKWAR	BAJRANGRAIKWAR	GENERAL	12454
132	PRIYANSHU RAIKWAR	BAJRANGRAIKWAR	GENERAL	2475
133	PROMISE MISHRA	NARENDRAMISHRA	GENERAL	2454
134	PULKIT MAHESHWARI	KRISHNAGOPALMAHESHWARI	GENERAL	2454
135	PUNIT SINGH BAIS	BANSHBAHADURSINGH	OBC	2364
136	RAAQUIB KHAN	SHAHIDKHAN	GENERAL	12672
137	RAGHAV MISHRA	MANOJMISHRA	GENERAL	10672
138	RAHUL KUSHWAHA	HARIRAM	GENERAL	10454
139	RAHUL MORE	BHUSHANMORE	GENERAL	2364
140	RAHUL TOMAR	DURGESINGHTOMAR	OBC	11672
141	RAHUL SINGH THAKUR	GAJRAJSINGHTHAKUR	GENERAL	10672
142	RAJDEEP SISODIYA	BHEEMSINGH	GENERAL	2364
143	RAJEEV CHOURASIYA	SHYAMCHOURASIYA	OBC	10454
144	RAJESH KUSHWAH	RAMBHAROSAKUSHWAH	OBC	10454
145	RAJUL RAGHUWANSHI	RAJKUMARRAGHUWANSHI	GENERAL	12354
146	RAMKUMAR YADAV	RAMSNEH	OBC	12672
147	RISHI PAL	KALYANSINGHPAL	GENERAL	11454
148	RITANSHU JAIN	DEEPAKJAIN	GENERAL	2672
149	RITESH RAI	BARALAL RAI	OBC	12672
150	RITHIK PANDEY	VIJAYNARAYANPANDEY	GENERAL	2454
151	RITIK GUPTA	RAMCHANDRAGUPTA	GENERAL	12672
152	RITIK SEN	SURESHSEN	OBC	12672
153	RITVIK BAHADUR THAPA	BHIMBAHADURTHAPA	GENERAL	2354
154	ROHIT BHASKAR	SHIVBEERBHASKAR	GENERAL	2364
155	ROHIT DANGI	DINESHDANGI	OBC	2672
156	SACHIN PATEL	NARESHPATEL	OBC	10454
157	SACHIN PATEL	RAJKUMARPATEL	OBC	12672
158	SACHIN RAJPUT	ROOPLALRAJPUT	GENERAL	12454
159	SACHIN THAKUR	KRIPALSINGH	GENERAL	2672
160	SACHIN KUMAR SHUKLA	ASHOKSHUKLA	GENERAL	12454
161	SAGAR RAJPUT	DHANROOPSINGHRAJPUT	GENERAL	2354
162	SAIF ANSARI	DOSHMOHAMMAD	OBC	10454
163	SAJAL BHATIA	ANIL	GENERAL	12454
164	SAKSHAM JAIN	ANILJAIN	GENERAL	2672
165	SAMARTH AGRAWAL	DINESHAGRAWAL	GENERAL	2354
166	SANDEEP RAJPUT	SHOBHARAMRAJPUT	GENERAL	2672

PRINCIPAL
Govt. Hamidia Arts & Commerce
College, Bhopal

167	SANDEEP SAWASIYA	BHAGWATSINGHSAWASIYA	OBC	10454
168	SANJEEV GOUR	OMPRAKASHGOUR	OBC	12672
169	SANKRANT SINGH	ADHAARSINGH	ST	12270
170	SATISH PRAJAPATI	SHIVBACHANPRAJAPATI	OBC	12454
171	SATYAM YADAV	RAMKRITYADAV	GENERAL	2672
172	SHANAWAZ AHMAD	ABDULFAROOK	GENERAL	10672
173	SHASHANK JAIN	RAJENDRAJAIN	GENERAL	2454
174	SHASHIKANT MALVIYA	MAHESHMALVIYA	SC	10270
175	SHEKHAR RAJPUT	NAWAL	GENERAL	10454
176	SHIVAM SHARMA	PRATAPBHANUSHARMA	GENERAL	11354
177	SHUBHAM MEENA	MAHESHKUMARMEENA	OBC	10454
178	SHUBHAM PATEL	KEVALSINGH	OBC	11672
179	SHUBHAM PATEL	RAJESHPATEL	OBC	11354
180	SHUBHAM RAJPOOT	PEPRAJRAJPOOT	GENERAL	2474
181	SHUBHAM RAJPUT	LAXMANSINGH	GENERAL	10672
182	SHUBHAM YADAV	HARINARAYANYADAV	GENERAL	2672
183	SIKANDER KHAN	JAVEDKHAN	GENERAL	2672
184	SOHAN LAL PATEL	LAKHANLAL	OBC	11672
185	SONU SINGH	DHARMENDRASINGH	GENERAL	10359
186	SUMIT NAGAR	BALKISHANNAGAR	OBC	10672
187	SUMIT TIWARI	SANJAYTIWARI	GENERAL	2454
188	SUMIT SINGH MANDVI	MAKHANSINGHMANDVI	SC	10588
189	SURAJ KOURAV	RAGHVENDRAKOURAV	OBC	10354
190	SWAPNIL AGNIHOTRI	ABHAYAGNIHOTRI	GENERAL	12672
191	SYED SAIF ALI	SYEDRASHIDALI	GENERAL	12354
192	TARUN KUMAR DUBEY	VINAYDUBEY	GENERAL	10454
193	TUSHAR VISHWAKARMA	AMAR SINGH VISHWAKARMA	OBC	9172
194	UJJWAL RAI	BALRAMRAI	OBC	12454
195	UPENDRA SINGH SENGAR	SHIVRAJSINGHSENGAR	GENERAL	10354
196	VAIBHAV SHARMA	RAJKUMARSHARMA	GENERAL	2474
197	VEDANSH MISHRA	VEDPRAKASHMISHRA	GENERAL	12354
198	VIJAY SINGH NEGI	JAIPALSINGHNEGI	GENERAL	2364
199	VIKAS YADAV	DEEVANYADAV	OBC	10454
200	VIKKI RAJPUT	DHANROOPSINGHRAJPUT	GENERAL	2672
201	VISHAL AHIRWAR	KUNJILALAHIRWAR	SC	2588
202	VISHAL MARAN	SHIVNARAYANMARAN	GENERAL	10672
203	VISHAL TILAK	SHAKTITILAK	OBC	11672
204	VISHAL VERMA	DHARMENDRA	GENERAL	10454
205	VIVEK BOOLCHANDANI	KAILASHBOOLCHANDANI	GENERAL	12454
206	VIVEK RAJPUT	GULAB	GENERAL	2672
207	VIVEK SAHU	SANTOSHSAHU	OBC	11354
208	VIVEK KUMAR GUPTA	RAMPRASADGUPTA	GENERAL	2672

PRINCIPAL
Govt. Hamidia Arts & Commerce

209	YASH JAIN	SANJAYJAIN	GENERAL	2454
210	YASH SONI	BHUPENDRASONI	OBC	2354
211	YOGESH NIRWAN	KAILASHNIRWAN	SC	10370
212	YOGESH PATEL PATEL	BRIJESH PATEL	OBC	10354
213	ZAID KHAN	LIYAQATKHAN	GENERAL	2672

PRINCIPAL
Govt. Hamidia Arts & Commerce
College, Bhopal